सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश/ वित्त और लेखा/ 2026
नीति परिपत्र सं. 3.3.38 /2026 दिनांक 03rd नवंबर, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल स. NHAI/F&A/GST/CLARIFICATION-REPLY-Part(1) (कम्प्युटर सं. 220364 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Finance & Accounts /2026
Policy Circular No. 3.3.38 /2026 dated 03rd November, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHAI/F&A/GST/CLARIFICATION-REPLY-Part(1)(Comp No. 220364)}

विषय: एचएएम/बीओटी (टोल)/बीओटी (वार्षिक) / ईपीसी परियोजनाओं में जीएसटी कानून में परिवर्तन संबंधी दावों के मूल्यांकन और निपटान के लिए दिशा-निर्देश के संबंध में।

Sub.: Guidelines for evaluation and settlement of GST Change in Law claims in HAM/BOT (Toll)/ BOT (Annuity)/EPC Projects - reg:

नीति परिपत्र संख्या 3.3.32/2024 दिनांक 27.05.2024 और नीति परिपत्र संख्या 3.3.33/2024 दिनांक 12.11.2024 का अतिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।-

In supersession of Policy Circular No. 3.3.32/2024 dated 27.05.2024 and Policy Circular No. 3.3.33/2024 dated 12.11.2024, the following revised Guidelines are hereby issued.

2. **सक्षम प्राधिकारी ने जीएसटी कानून में परिवर्तन संबंधी दावों के मूल्यांकन और निपटान के लिए निम्नलिखित रूपरेखा को अनुमोदित किया है:**

The Competent Authority has approved the following framework for evaluation and settlement of GST Change in Law claims:

(A) **अंतरिम लेखापरीक्षा:**
Interim Audit:

(i) अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति के बाद से वाणिज्यिक संचालन (पीसीओडी) संविदाकार द्वारा/जारी होने तक कंसेसनेयर (सीओडी) तिथिप्रस्तुत जीएसटी कानून में परिवर्तन के दावों का मूल्यांकन भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल द्वारा बनाए गए अनुमोदित पैनलरोस्टर से चयनित एक अंतरिम लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।/
After achievement of Provisional Commercial Operation Date (PCOD) till issuance of Commercial Operation Date (COD), the GST Change in Law claims submitted by the Concessionaire/Contractor shall be evaluated by an Interim Auditor, selected from the approved Panel/Roster maintained by GST Cell, NHAI HQ.

Contd....2/-

(ii) अंतरिम लेखापरीक्षा पूरी करने की समय-सीमा सामान्यतः लेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि से 30 दिन होगी, बशर्ते कंसेसनेयर/संविदाकार और संबंधित पी.आई.यू. द्वारा आवश्यक सूचना और दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं।
The timeline for completion of Interim Audit shall ordinarily be 30 days from the date of appointment of the Auditor, subject to timely submission of requisite information and documents by the Concessionaire/Contractor and the concerned PIU.

(iii) जीएसटी लेखा परीक्षक सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा करेगा। तथापि, यदि लेखापरीक्षकों को अभिलेखों के सत्यापन या लेखापरीक्षा से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए संबंधित पीआईयू का दौरा आवश्यक प्रतीत होता है, तो भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी प्रकोष्ठ से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने और परियोजना निदेशक से समय निर्धारित करने के बाद यह दौरा किया जा सकता है। ऐसा दौरा, यदि आवश्यक हो, तो सामान्यतः प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर किया जाएगा। आंतरिक लेखा परीक्षकों को पैनल में शामिल करने के लिए आरएफई के खंड 1.3.3 के अनुसार टीए/डीए देय होगा।
GST Auditor shall ordinarily undertake the audit based on documents made available electronically. However, where the Auditor considers a visit to the concerned PIU necessary for verification of records or any other purpose connected with the audit, the same may be undertaken after obtaining prior approval of GST Cell, NHAI HQ and fixing an appointment with the Project Director. Such visit, if any, shall ordinarily be undertaken within ten (10) days from the date of acceptance of the offer. TA/DA shall be payable as per Clause 1.3.3 of the RFE for Empanelment of Internal Auditors.

(iv) सभी पी.डी. को एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि जीएसटी लेखा परीक्षक के निर्धारित मुलाकाती समय पर पी.आई.यू. के दौरे के समय सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। जीएसटी लेखा परीक्षक द्वारा अनुरोध किए जाने पर 7 कार्य दिवसों से अधिक समय में मुलाकाती समय निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी होने पर जीएसटी लेखा परीक्षक भाराराप्रा मुख्यालय में महाप्रबंधक (वित्त) को सूचित करेंगे।
All PDs are hereby directed to provide all type of assistance whenever GST Auditor visits PIU after fixing appointment. Appointment fixing shall not be later than 7 working days whenever asked by GST Auditor. In case of any delay on above procedure, GST Auditor will report to GM (Finance) at NHAI HQ.

(v) भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल द्वारा अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावे को इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किए जाएंगे।
Upon receipt of the Interim Audit Report by GST Cell, NHAI HQ, the claim shall thereafter be processed in accordance with the provisions of these Guidelines.

(B) अंतिम लेखापरीक्षा:
Final Audit:

(i) सी.ओ.डी. की प्राप्ति पर अंतिम लेखापरीक्षा भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल द्वारा बनाए गए अनुमोदित पैनल/रोस्टर से चयनित एक अलग लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।
Upon achievement of COD, the Final Audit shall be conducted by a separate Auditor selected from the approved Panel/Roster maintained by GST Cell, NHAI HQ.

Contd....3/-

(ii) अंतिम लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक अंतरिम लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षक से भिन्न होगा ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
The Auditor appointed for Final Audit shall be different from the Auditor who conducted the Interim Audit, in order to ensure independence and objectivity in the audit process.

(iii) अंतिम लेखापरीक्षा पूरी करने की समय-सीमा सामान्यतः लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि से 30 दिन होगी, बशर्ते कंसेसनेयर/संविदाकार और संबंधित पी.आई.यू. द्वारा आवश्यक सूचना और दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं।
The timeline for completion of Final Audit shall ordinarily be 30 days from the date of appointment of the Auditor subject to timely submission of requisite information and documents by the Concessionaire/Contractor and the concerned PIU.

(iv) जीएसटी लेखा परीक्षक सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा करेगा। तथापि, यदि लेखापरीक्षकों को अभिलेखों के सत्यापन या लेखापरीक्षा से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए संबंधित पीआईयू का दौरा आवश्यक प्रतीत होता है, तो भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी प्रकोष्ठ से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने और परियोजना निदेशक से समय निर्धारित करने के बाद यह दौरा किया जा सकता है। ऐसा दौरा, यदि आवश्यक हो, तो सामान्यतः प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर किया जाएगा। आंतरिक लेखापरीक्षकों के पैनल में शामिल होने के लिए आरएफई के खंड 1.3.3 के अनुसार टीए/डीए देय होगा।
GST Auditor shall ordinarily undertake the audit based on documents made available electronically. However, where the Auditor considers a visit to the concerned PIU necessary for verification of records or any other purpose connected with the audit, the same may be undertaken after obtaining prior approval of GST Cell, NHAI HQ and fixing an appointment with the Project Director. Such visit, if any, shall ordinarily be undertaken within ten (10) days from the date of acceptance of the offer. TA/DA shall be payable as per Clause 1.3.3 of the RFE for Empanelment of Internal Auditors.

(v) सभी पी.डी.एस. को एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि जीएसटी लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति के बाद पी.आई.यू. के दौरे के समय सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। जीएसटी लेखा परीक्षक द्वारा अनुरोध किए जाने पर नियुक्ति 7 कार्य दिवसों से अधिक समय में नहीं की जानी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी होने पर, जीएसटी लेखा परीक्षक भाराराप्रा मुख्यालय में महाप्रबंधक (वित्त) को सूचित करेंगे।
All PDs are hereby directed to provide all type of assistance whenever GST Auditor visits PIU after fixing appointment. Appointment fixing shall not be later than 7 working days whenever asked by GST Auditor. In case of any delay on above procedure, GST Auditor will report to GM (Finance) at NHAI HQ.

(C) प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा समीक्षा:
Review by Management Consultant:

(i) अंतिम लेखापरीक्षा पूरा होने पर भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियाँसिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए / उसी जीएसटी सेल द्वारा नियुक्त प्रबंधन परामर्शदाता को अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।
Upon completion of Final Audit, the Final Audit Report shall invariably be referred by GST Cell, NHAI HQ to the Management Consultant appointed by GST Cell, NHAI HQ for review and submission of comments/recommendations.

Contd....4/-

(ii) अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के अलावा, भाराराप्रा मुख्यालय का जीएसटी सेल निम्नलिखित मामलों में किसी अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट या किसी अन्य विषय को प्रबंधन परामर्शदाता के पास भेज सकता है:
In addition to the review of Final Audit Reports, GST Cell, NHAI HQ may also refer any Interim Audit Report or any other matter to the Management Consultant in the following cases:

a) जहां रियायत करार के प्रावधानों, लागू कानूनों, नीति परिपत्रों, दिशा-निर्देशों या संविदात्मक प्रावधानों की व्याख्या शामिल हो;
where interpretation of provisions of the Concession Agreement, applicable laws, policy circulars, guidelines or contractual provisions is involved;

b) जहां लेखा परीक्षक, पीआईयू, आईई/एई, कंसेसनेयर/संविदाकार या किसी अन्य हितधारक के विचार भिन्न-भिन्न मौजूद हों; या
where divergent views exist between the Auditor, PIU, IE/AE, Concessionaire/Contractor or any other stakeholder; or

c) किसी अन्य मामले में जहां जीएसटी सेल, भाराराप्रा मुख्यालय प्रबंधन परामर्शदाता की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता हों;
In any other case where GST Cell, NHAI HQ considers it necessary to obtain the opinion of the Management Consultant.

(iii) प्रबंधन परामर्शदाता मामले की जांच करेगा और भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल को अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसके बाद, जीएसटी प्रकोष्ठ और प्रबंधन परामर्शदाता की टिप्पणियों/सिफारिशों सहित अंतरिम/अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार और सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रखा जाएगा। तथापि, जहां इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन परामर्शदाता को नहीं भेजी गई है, वहां अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीधे संसाधित किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त होने पर संबंधित पीआईआई को अनुमोदन/सूचना पत्र तुरंत जारी किया जाएगा।
The Management Consultant shall examine the matter and furnish its comments/recommendations to GST Cell, NHAI HQ. Thereafter, the Interim/Final Audit Report, along with the comments/recommendations of the GST Cell & Management Consultant, shall be placed before the Competent Authority for consideration and grant of In-Principle Approval. However, where an Interim Audit Report has not been referred to the Management Consultant in accordance with these Guidelines, the Interim Audit Report shall be processed directly for obtaining In-Principle Approval of the Competent Authority. Upon grant of In-Principle Approval, the approval/intimation letter shall be issued to the concerned PIU immediately.

Contd....5/-

(D) **समाधान:**
Settlement:

(i) सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त होने पर रियायत करार और शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार, पी.आई.यू. द्वारा देय राशि के 90% का तदर्थ भुगतान कंसेसनेयर / संविदाकार द्वारा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से अगले तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर, आरओ द्वारा अनुमोदन देने में लगने वाले समय यदि कोई हो सहित जारी किया जाएगा।
Based on the In-Principle approval, ad-hoc payment of **90% of the due amount** shall be released by the PIU as per the Concession Agreement and extant delegation of powers within next three (3) working days, including time taken by RO for giving approval, if any, from the date of submission of claim by the Concessionaires/Contractors.

(ii) तथापि, देय राशि का 90% तदर्थ भुगतान करने के बाद, यदि पीडी/एई/आईई द्वारा जीएसटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी हो, तो उसे सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन वाला पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल को भेजा जा सकता है; अन्यथा, जीएसटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सभी संबंधित पक्षों, अर्थात् पीडी, आईई/एई द्वारा स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा और तदनुसार शेष 10% राशि भी रियायत करार और शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार पीआईयू द्वारा जारी की जाएगी।
However, after making ad-hoc payment of 90% of the due amount, if there are any observations on the GST Audit Report by PD/AE/IE, the same may be forwarded to GST Cell, NHAI HQ within 15 days from the date of issuance of in-principle approval letter, otherwise, the GST Audit Report shall be treated as deemed acceptance by all concerned, i.e., PD, IE/AE and accordingly balance 10% shall also be released by the PIU as per the Concession Agreement and extant delegation of powers.

3. परियोजना पूर्ण होने (सीओडी) के बाद पीडी यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम लेखापरीक्षा का प्रस्ताव तुरंत भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल को भेजा जाए। साथ ही अनुलग्नक-IV के दावों के मामलों में पीडी-पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि कंसेसनेयर भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल को दावा प्रस्तुत करे।
Once the project is completed (COD), PD shall ensure that proposal for Final Audit is sent to GST Cell, NHAI HQ immediately. Also, in the cases of Annexure-IV claims PD-PIU shall ensure that concessionaire submits the claim to GST Cell, NHAI-HQ.

4. जीएसटी कानून में परिवर्तन के दावों के मूल्यांकन और निपटान के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:
The following Provisions shall govern evaluation and settlement of GST Change in Law claims:

(i) जीएसटी कानून में परिवर्तन के तहत सभी दावों को अनिवार्य रूप से भाराराप्रा डेटा लेक पोर्टल और निर्दिष्ट ईमेल आईडी gstcell@nhai.org के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुलग्नक-IV के दावों के अलावा अन्य दावों के मामले में दावा ई-ऑफिस के द्वारा पीडी-पीआईयू के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
All claims under GST Change in Law shall mandatorily be submitted through the NHAI Data Lake Portal and designated email ID gstcell@nhai.org. In case of claims other than Annexure-IV claims Claim shall be submitted through PD-PIU through e-office.

Contd....6/-

(ii) पूर्व परिपत्रों के अंतर्गत निर्धारित सहकर्मी समीक्षा लेखापरीक्षा की वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। तथापि, अंतरिम/अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा/जांच एनएचएआई मुख्यालय के जीएसटी प्रकोष्ठ द्वारा नियुक्त प्रबंधन सलाहकार द्वारा की जाएगी।
The existing process of Peer Review Audit prescribed under earlier circulars shall stand discontinued. However, review/examination of Interim/Final Audit Reports shall be undertaken by Management Consultant appointed by GST Cell, NHAI HQ.

(iii) सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भी कंसेसनेयर द्वारा उठाई गई किसी भी असहमति/विवाद का समाधान रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।
Any dissent/dispute raised by the Concessionaire even after in-principle approval shall be addressed strictly in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

(iv) इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा जीएसटी सेल, वित्त विभाग, भाराराप्रा मुख्यालय को भेजा जाएगा और उस पर सदस्य (वित्त) का निर्णय अंतिम होगा।
Any issue relating to interpretation of these Guidelines shall be referred to GST Cell, Finance Division, NHAI HQ and decision of Member (Finance) thereon shall be final.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

03/11/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation and uploading on NHAI/GST Portal.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.
4. सभी सूचीबद्ध लेखा परीक्षक।
All Empanelled Auditors.
5. सभी कंसेसनेयर।
All Concessionaires.